निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण 1930 (श0)
(सं0 पटना 540) पटना, मंगलवार, 25 नवम्बर 2008

वित्त विभाग

अधिसूचनाएं
25 नवम्बर 2008

एस० ओ० 279, दिनांक 25 नवम्बर 2008 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा जिला एवं राज्य चिकित्सा संवर्ग की सेवा शर्त्तो को निर्धारित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

अध्याय– 1

सामान्य प्रावधान

1. नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :–
   (1) इस नियमावली को बिहार–जिला चिकित्सा सम्वर्ग/बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2008 कहा जायेगा।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
2. परिभाषाएँ :– इस नियमावली में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा कोई बात अपेक्षित न हो:–
   (क) ''राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति'' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मार्गदर्शन के आधार पर, सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत गठित समिति,
   (ख) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार,
   (ग) ''विभाग'' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग
   (घ) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग,
   (च) ''विशिष्टता प्राप्त चिकित्सक'' से अभिप्रेत है वह चिकित्सक, जो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री यथा एम0डी0, एम0एस0 अथवा समकक्ष या उच्चतर डिग्री प्राप्त किया हो,
3. सेवा/संवर्ग का गठनः–राज्य के चिकित्सकों का सम्वर्ग दो सम्वर्गो में विभाजित होगा :–
   (क) जिला चिकित्सा सम्वर्ग एवं
   (ख) बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग।

अध्याय–2

जिला चिकित्सा सम्वर्ग

4. (क) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं रेफरल अस्पतालों में कार्य करने वाले सभी चिकित्सक (बिहार स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ उप सम्वर्ग अध्याय–3 नियम–5(ख) के चिकित्सक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, उपाधीक्षकों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं रेफरल अस्पतालों के प्रथम चिकित्सा पदाधिकारी को छोड़कर) जिला चिकित्सा सम्वर्ग में रहेंगे एवं चिकित्सा पदाधिकारी जिला संवर्ग नामित होंगे।

(ख) प्रत्येक वर्ष उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए विहित प्रक्रिया अनुसार चिकित्सको का चयन किया जायेगा, जिसके लिए दिशा–निर्देश विभाग द्वारा अलग से निर्गत किया जायेगा।

(ग) आयु सीमा – सरकार द्वारा समय–समय पर नियुक्ति हेतु निर्धारित की गई अधिकतम आयु सीमा लागू होगी।

(घ) आरक्षण – सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का अनुपालन आवश्यक होगा।

(ड़) जिला चिकित्सा सम्वर्ग मं चिकित्सक संविदा/अनुबंध के आधार पर चयनित होंगे एवं कम से कम दो वर्ष कार्य करेंगे। इस संवर्ग के सभी पद संविदा/अनुबंध के आधार पर भरे जाएँगे और इन पदों पर स्थायी/अस्थायी नियुक्ति नहीं होगी । इस संवर्ग के चिकित्सक संबंधित जिला में कही भी स्थानान्तरित किय जा सकते है।

अध्याय–3

बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग

5. बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग में निम्नलिखित दो उप सम्वर्ग होंगे

(क) बिहार स्वास्थ्य सेवा सामान्य कर्त्तब्य उप–सम्वर्ग

(ख) बिहार स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ उप–सम्वर्ग।

इस संवर्ग के चिकित्सक राज्य में कही भी स्थानान्तरित किये जा सकेंगे।

6. जिला चिकित्सा सम्वर्ग के लिए चिन्हित पदों को छोड़कर अन्य सभी पद बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के माने जायेंगे।

7. बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग में नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा पदाधिकारी/विशेषज्ञ ग्रेड–II के पद पर होगी। प्रत्येक वर्ष उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए विहित प्रक्रिया अनुसार एक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इनका चयन किया जाएगा । इसके लिए दिशा निर्देश विभाग द्वारा अलग से निर्गत किए जाएंगे। यह चयन बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से हागा एवं सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन आवश्यक होगा।

8. सामान्य उप सम्वर्ग में नियुक्ति के लिए कम से कम दो वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में कार्य करने का अनुभव अनिवार्य होगा । विशेषज्ञ उप सम्वर्ग में नियुक्ति के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

9. (क) विभिन्न पदों के वेतनमान/वेतन अनुसूची –1 के अनुसार होंगे।

(ख) निम्नलिखित पद प्रशासनिक पद माने जाएंगे –

(i) प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(ii) उपाधीक्षक, रेफरल अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल/सदर अस्पताल

(iii) सिविल सर्जन/उपनिदेशक एवं उसके समकक्ष पद

(iv) निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक

(v) निदेशक प्रमुख

क्रमाक (i) एवं (ii) में अंकित पद संबंधित अस्पताल मं कार्यरत चिकित्सकों में से वरीयता के आधार पर भरे जायगें।

क्रमांक (iii) में अंकित पदों की कुल संख्या सिविल सर्जन के स्वीकृत पदों से तीन गुणा होगी। इस स्तर के वरीयतम चिकित्सको में से योग्यता एवं दक्षता के आधार पर सिविल सर्जनों का चयन किया जायगा। उप निदेशक एवं उसके समकक्ष पद विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएगें।

क्रमांक (iii), (iv) एवं (v) पर अंकित कुल पदों में से विभाग द्वारा सामान्य कर्त्तब्य उप सम्वर्ग एवं विशेषज्ञ उप सम्वर्ग के लिए अलग–अलग संख्या निर्धारित की जाएगी।

10. इस नियमावली के प्रवृत होने पर पूर्व से कार्यरत चिकित्सको के समायोजन हेतु यथोचित दिशा–निर्देश सरकार द्वारा अलग से निर्गत किया जायगा।

11. डायनेमिक ए0सी0पी0

(क) बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों को छः वर्ष की ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पूरी करने के पश्चात, पद के स्तर उन्नयन के साथ, प्रथम वित्तीय उन्नयन अनुमान्य होगा। द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय

उन्नयन, पद के स्तर उन्नयन के साथ, प्रथम वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने के छः–छः वर्षो के समान अन्तराल के पश्चात अनुमान्य होगा।

परन्तु यह कि नियमावली प्रवृत होने की तिथि को कार्यरत चिकित्सको के मामले में उपरोक्त कंडिका में ''छः वर्ष की ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा'' को ''छः वर्ष की सेवा'' पढ़ा जायगा एवं डायनेमिक ए०सी०पी० के वेतनमान का निर्धारण कुल सेवा अवधि के आधार पर किया जायेगा।

नोट :– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का अभिप्राय यहॉ ऐसे सरकारी अस्पतालों में की गई सेवा से है जो नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर है।

(ख) डायनेमिक ए०सी०पी० की सुविधा अधिकतम 14300–18300 के वेतनमान तक अनुमान्य होगी।

12. डायनेमिक ए०सी०पी०/प्रोन्नति के लिए निर्धारित अहर्ताएँ :–

(i) दो वर्षो की संतोषप्रद परीक्ष्यमान अवधि की सेवा के उपरान्त चिकित्सकों की सेवा सम्पुष्ट की जायेगी, बशर्ते इन्होने सरकार द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीणता एवं कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।

(ii) विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर डायनेमिक ए०सी०पी०/प्रोन्नति विचारणीय होगी । विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित बातों पर विचार कर डायनेमिक ए०सी०पी०/प्रोन्नति के लिए अनुशंसा करेगीः–

(क) संतोषप्रद चारित्री अभ्युक्तियॉ।

(ख) स्वच्छता प्रतिवेदन (कम से कम आन्तरिक निगरानी) से प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ग) राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय–समय पर इस आशय के लिए निर्धारित अन्य मापदंड।

(iii) विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे।

(iv) आरक्षण – डायनेमिक ए०सी०पी० के लिए अलग से आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी क्योकि इस माध्यम से स्वीकृत पदों का ही स्तर उन्नयन (in situ promotion) हो जाता है। डायनेमिक ए०सी०पी० के स्तर से उपर के आवश्यकता आधारित पदों पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा ।

13. निरसन एवं व्यावृति – इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से विभागीय अधिसूचना संख्या 1131(2) दिनांक 29.09.84 एवं अन्य संबंधित अधिसूचनाएँ/संकल्प इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। पूर्व के मामलों पर की जा रही कार्रवाई इससे प्रभावित नहीं होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार सिंह,
सरकार के उप–सचिव।

अनुसूची–1

बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग में पदों की श्रेणियॉ

(1)	**सामान्य कर्तव्य उप सम्वर्गः–**	
(I)	चिकित्सा पदाधिकारी	8000–13500
(ii)	वरीय चिकित्सा पदाधिकारी	10000–15200
(iii)	उप मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	12000–16500
(iv)	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	14300–18300
(2)	**विशेषज्ञ उप सम्वर्गः–**	
(i)	विशेषज्ञ–ग्रेड–II	8000–13500
(ii)	विशेषज्ञ–ग्रेड–I	10000–15200
(iii)	वरीय विशेषज्ञ	12000–16500
(iv)	कन्सलटेंट(विषय)	14300–18300
(3)	**संयुक्त प्रशासनिक पदः–**	
(i)	सिविल सर्जन/उप निदेशक	14300–18300
(ii)	निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक	16400–20000
(iii)	निदेशक प्रमुख	18400–22400

नोट :– **जिला चिकित्सा सम्वर्ग के चिकित्सकों को सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियत वेतन की प्राप्ति होगी।**

25 नवम्बर 2008

एस ओ० 280, एस० ओ० 279, दिनांक 25 नवम्बर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार सिंह,
सरकार के उप–सचिव।

The 25th November 2008

S.O. 279, dated 25th November 2008—In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar makes the following rules with an aim to determine the service conditions of District and State Health Cadres.

Chapter-1

General Provisions

1. Title, Extent and commencement: -
   (i) This Rule may be called the Bihar District Medical Cadre/ Bihar Health Service Cadre (Appointment on Regular/Contract basis and Service Conditions) Rules, 2008.
   (ii) It shall extend to the entire State of Bihar.
   (iii) It shall come into force from the date of publication in the State Gazette.
2. Definitions:- In this Rule unless the context otherwise requires:-
   (a) "State Health Society/ District Health Society" means a Society constituted under the Societies Registration Act as per guidelines of the National Rural Health Mission.
   (b) "Government" means Government of Bihar.
   (c) "Department" means Health Department.
   (d) "Commission" means Bihar Public Service Commission.
   (e) "Specialist Doctor" means a doctor who has obtained Post Graduate Degree as M.S./ M.D. or equivalent or Higher Degree from a recognized medical teaching institution,
3. Constitution of Services/ Cadre:
   The Cadre of State doctors will be divided into two cadres.
   (a) District Medical Cadre, and
   (b) Bihar Health Service Cadre

Chapter-2

District Medical Cadre

4. (a) All doctors working in Additional Primary Health Center, Primary Health Center and Referral Hospital, excluding Medical Officers of Bihar Health Service Specialist sub-cadre under Chapter-3 Rule 5(b), in-charge Medical Officer, Dy. Superintendent & First Medical Officers of PHC & Refferal Hospitals, will be in District Medical Cadre and designated as Medical Officer (District Cadre)
   (b) Doctors will be selected every year as per available vacancies on the basis of a prescribed procedure for which separate guidelines will be issued by the Department.
   (c) Age limit – The maximum age limit as prescribed by the Government from time to time will be applicable.
   (d) Reservation – It will be obligatory to implement the reservation rules prescribed by the Government.
   (e) In the District Medical Cadre, doctors will be selected on contract/agreement basis and will work for at least two years. All post in this cadre shall be filled on contract/agreement basis and no permanent/temporary appointment will be made on these posts. *Doctors of this cadre can be transferred anywhere in the concerned district.*

Chapter-3
Bihar Health Service Cadre

5. The following two sub-cadres will be in the Bihar Health Service Cadre
   (a) Bihar Health Service General Duty sub-cadre
   (b) Bihar Health Service Specialist sub-cadre
   Doctors of this cadre can be transferred anywhere in the State.
6. All posts except the posts identified for the District cadre, shall be deemed to be part of the Bihar Health Service cadre.
7. Appointments to the Bihar Health Service cadre will be made by the Government against the posts of Medical Officer/Specialist Grade-II. Keeping in view the available vacancies every year, doctors shall be selected through a competitive examination following the prescribed procedure for which guidelines will be issued separately by the Department. The selection will be made through Bihar Public Service Commission and it shall be obligatory to implement the reservation rules prescribed by the Government.
8. It will be obligatory to have a working experience of at least two years in government hospitals in rural areas for appointment in the General Duty sub-cadre. For appointment in Specialist sub-cadre, it will be essential to have a postgraduate degree in the concerned subject.
9. (a) Pay Scales/Salary for various posts shall be as mentioned in Schedule-I.
   (b) The following will be deemed to be administrative posts:
   (i) In-charge Medical Officer, Primary Health Center
   (ii) Dy. Superintendent, Referral Hospital/Sub-divisional Hospital/ Sadar Hospital
   (iii) Civil Surgeons/Dy. Director & equivalent post.
   (iv) Director/Regional Director
   (v) Director-in-Chief.
   Posts mentioned in sl. no. (i) & (ii) will be filled on the basis of seniority from amongst working doctors in the concerned hospital. The total no of posts mentioned in sl no.(iii) will be three times the total no. of sanctioned posts of Civil Surgeons in the State. Civil Surgeon will be selected from amongst senior doctors at this level on the basis of competence and efficiency. The Department will also notify the posts of Dy. Director & equivalent.
   Separate numbers will be determined by the department for general duty sub-cadre and specialist sub-cadre, from amongst the total number of posts mentioned in sl. no. (iii), (iv) & (v)
10. After coming into force of these rules, appropriate guidelines will be issued by the department for adjustment of services existing doctors.
11. <u>Dynamic ACP</u>
   (a) Doctors of Bihar Health Service will be granted first financial progression, along with up-gradation of post, on completion of six years of rural health service. Second and third financial progression, along with up-gradation of post, will be granted after equal intervals of 6 years each following the first financial progression.

Provided that, for the doctors in service on the date of coming into force of these rules "six years of rural health service" mentioned in paragraph above will be read as "six years of service" and the pay scale of dynamic ACP will be determined on the basis of total length of service.

Note:- Rural Health Service means, in this regard, service rendered in such hospitals as are outside the areas of Nagar Nigam / Nagar Parishad / Nagar Panchayat in the State.

   (b) The facility of dynamic ACP will be provided maximum up-to the pay scale of 14300-18300.
12. Criteria for Dynamic ACP/Promotion
   (i) Services of Doctors will be confirmed after satisfactory completion of a probation period of two years provided they have passed the prescribed departmental examination and obtained the necessary treasury training.

(ii) The Dynamic ACP/Promotion will be considered on the basis of the recommendation of a Departmental Promotion Committee. Departmental Promotion Committee will consider the following facts and circumstances while recommending the Dynamic ACP/ Promotions:

(a) Satisfactory Character Roll

(b) Vigilance clearance (from at least internal vigilance) will be mandatory.

(c) Other criteria as may be fixed for this purpose from time to time by the State Government (Personnel and Administrative Reforms Department).

(iii) Development Commissioner will be the Chairman of the Departmental Promotion Committee.

(iv) Reservation:- No separate reservation is required for dynamic ACP as by this mechanism the sanctioned post it-self is elevated (in-situ promotion). For promotion against the need-based posts above the level of dynamic ACP, it will be obligatory to follow the prescribed reservation roster.

13. Repeal and Savings- Departmental notification no.1131(2) dated 29.09.1984 and other related notifications resolutions shall be deemed to be modified to this extent from the date of coming into force of these rules. These rules shall not affect any action being taken under the earlier provisions.

By Order of the Governor
Sunil Kumar Singh,
Dy. Secretary to the Government.

Schedule-I

Category and Pay scale of Bihar Health Services

1.	General duty medical officer		
	(i) Medical Officer	-	8,000-13,500
	(ii) Senior Medical Officer	-	10,000-15,200
	(iii) Dy. Chief Medical Officer	-	12,000-16,500
	(iv) Chief Medical Officer	-	14,300-18,300
2.	Specialist sub Cadre		
	(i) Specialist grade –II	-	8,000-13,500
	(ii) Specialist grade–I	-	10,000-15,200
	(iii) Senior Specialist	-	12,000-16,500
	(iv) Consultant (Subject)	-	14,300-18,300
3.	Combined Administrative Post		
	(i) Civil Surgeon/Dy. Director	-	14,300-18,300
	(ii) Director/Regional Director	-	16,400-20,000
	(iv) Director in Chief	-	18,400-22,400

Note :- Doctors of District Medical Cadre will be given fixed salary as determined by the Government from time to time.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 540-571+10-डी०टी०पी०।